RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 | मुंबई : गुरुवार, 01 दिसंबर 2022 | वर्ष 04 | अंक 194 | संपादक : फैसल शेख | पृष्ठ : 4 | कीमत : 03 रुपये

दैनिक रोकठोक लेखनी

खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मुंबई में चेचक के 15 नए मामले दर्ज किए गए

मुंबई : मुंबई में बुधवार को चेचक के 15 नए मामले दर्ज किए गए और इससे कोई मौत नहीं हुई। नगर निकाय ने यह जानकारी दी। नए मामले मिलने के बाद वर्ष की शुरूआत से लेकर अब तक महाराष्ट्र की राजधानी में चेचक के मामलों की संख्या 323 हो गई है। पूरे राज्य में इस साल अब तक मामलों की संख्या बढ़कर 724 हो गई है। इस साल महाराष्ट्र में इस वायरल संक्रमण से 15 मरीजों की मौत हुई है, और इसने बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। मुंबई में 11, भिवंडी में तीन और वसई-विरार में एक सहित सभी मौतें महानगर क्षेत्र मुंबई में हुईं हैं। एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने एक दिसंबर से 'आउटब्रेक रिस्पॉन्स इम्युनाइजेशन' शुरू करने की योजना बनाई है।

सीएम शिंदे की बड़ी घोषणा

हर तहसील में हेलीपैड बनाएगी महाराष्ट्र सरकार, मरीजों को होगा फायदा

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर तहसील में एक हेलीपैड बनाएगी और राज्य में रनवे विस्तार पर काम करेगी ताकि लोगों की चिकित्सा सहायता सही से मिले। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के निदेशक मंडल की 81वीं बैठक में सीएम शिंदे ने यह घोषणा की।

महाराष्ट्र में 15 हवाई अड्डे और 28 हवाई पट्टी

योजनाओं की घोषणा करते हुए सीएम शिंदे ने अधिकारियों को रनवे और हवाई अड्डों के विस्तार का काम एक साथ करने का भी निर्देश दिया। महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी के प्रबंध निदेशक दीपक कपूर ने बताया कि महाराष्ट्र में 15 हवाई अड्डे और 28 हवाई पट्टी हैं।

सभी तहसील में एक हेलीपैड होना चाहिए

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिए निर्देश

सीएम शिंदे ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों को गोसीखुर्द, कोयना और कोंकण क्षेत्रों में पर्यटन के लिए सीप्लेन के लॉन्च की समीक्षा करने का भी निर्देश दिया। साथ ही बैठक के दौरान सीएम शिंदे ने अमरावती, शिरडी, गोंदिया, रत्नागिरी और सोलापुर में हवाईअड्डों पर भी चर्चा की।

सीएम शिंदे ने कहा कि सभी तहसील में एक हेलीपैड होना चाहिए, और इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर भूमि आवंटित जल्द से जल्द हो। जिससे इसका उपयोग विशेष रूप से दूर के क्षेत्रों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं वाले मरीजों को हवाई मार्ग से ले जाने में हो सके।

आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे परिवार की बढ़ती मुश्किलें...!

आठ दिसंबर को अगली सुनवाई

मुंबई : महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ उनकी पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कैंप से जुड़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार के पास आय से अधिक संपत्ति होने का भी आरोप लगा है। दरअसल उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मी ठाकरे और बेटों आदित्य व तेजस के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है और इसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई से कराने की मांग की गई है। बॉम्बे हाइकोर्ट में दायर इस याचिका पर आठ दिसंबर को सुनवाई होगी।

मालूम हो कि यह याचिका 38 वर्षीय गौरी और उनके पिता 78 वर्षीय अजय भिड़े द्वारा दायर की गई है। भिडे ने आपातकाल के दौरान शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के साप्ताहिक अखबार को छापा था। एक तरफ उद्धव ठाकरे परिवार इस तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े ने भी उनकी पार्टी का साथ छोड़कर शिंदे गुट का दामन थाम लिया। इससे पहले सांसद गजानन कीर्तिकर ने भी यही रूख अपनाया था।

महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बड़ा झटका!

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

मुंबई : मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों की गतिविधियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बुधवार को जमानत देने से इनकार कर दिया. विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने मलिक की जमानत याचिका खारिज कर दी. अदालत ने मलिक की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की लंबी दलीलों को सुनने के बाद 14 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल फरवरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार किया था. वह न्यायिक हिरासत में हैं और अभी उनका यहां के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

नवाब मलिक ने किया था सबूत नहीं होने का दावा

राकांपा नेता नवाब मलिक ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कोई गंभीर अपराध नहीं होने की दलील देते हुए जमानत दिए जाने का अनुरोध किया था. हालांकि जांच एजेंसी ने दाऊद इब्राहिम और उसके सहयोगियों के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले को आधार मानते हुए जमानत का विरोध किया था.

संजय गांधी नेशनल पार्क के एक हिस्से में लगी आग...

मुंबई : महाराष्ट्र के मुंबई शहर के उपनगर गोरेगांव के इन्फिनिटी आईटी पार्क के पीछे घने जंगलों में मंगलवार देर रात भीषण आग लग गयी।यह पहाड़ी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का एक हिस्सा बतायी गयी है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कीड़े, पक्षियों और पौधों के जीवन के अलावा तेंदुए, मोर, हिरण और हॉग सहित कई बड़े और छोटे वन्यजीव हैं। आग बुझाने के लिए दमकल की चार गाड़ियां और पानी के दो टैंकर लगे हुए हैं, आग लगने की घटना रात 11 बजे की है।

दमकल विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पार्क में रात करीब 10 बजे आग लगी और

दमकल वाहनों को तत्काल मौके पर भेज दिया गया। फिलहाल इस आग में किसी शख्स के फंसे होने की कोई खबर नहीं है। आग लगने की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। बता दें कि आईटी पार्क के जिस जंगल वाले हिस्से में आग लगी है वह संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर आता है। इस इलाके में तेंदुए, मोर, बंदर, हिरण जैसे कई तरह के अलग-अलग वन्य जीव भी हैं। इस आग में सैकड़ों पेड़ जलकर खाक हो जाने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। वहीं बताते चलें कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई के उत्तरी छोर पर 104 वर्ग किलोमीटर में फैला है। किसी महानगर के बीच स्थित अपनी तरह का यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। हर साल 20 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां घूमने आते हैं। बता दें कि इससे पहले भी राष्ट्रीय उद्यान में आग की घटना देखी गई है। 13 मार्च, 2013 को भी रात में पार्क में लगी आग ने राष्ट्रीय उद्यान के करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र को प्रभावित किया था।

संपादकीय / लेख

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

फिल्मकार की बेहूदगी...!

गोवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में इजरायली फिल्मकार नदव लैपिड ने जूरी प्रमुख की हैसियत से चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स को प्रोपेगंडा और घटिया करार देकर कितना बेहूदा काम किया, इसका पता भारत में इजरायल के राजदूत की ओर से उन्हें लताड़े जाने और भारत से माफी मांगने से चलता है। एक फिल्मकार होने के नाते नदव लैपिड को द कश्मीर फाइल्स में कुछ खोट नजर आ सकता है, लेकिन आखिर वह कश्मीरी पंडितों के अत्याचार को बयान करने वाली फिल्म को घटिया बताकर उनके जख्मों पर नमक कैसे छिड़क सकते हैं? क्या जूरी प्रमुख के तौर पर उन्हें जो फिल्में पसंद नहीं आईं, उनके विरुद्ध भी उन्होंने ऐसा ही अनर्गल प्रलाप किया?

यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि उन्होंने एक एजेंडे के तहत इस फिल्म पर निशाना साधा। एक यहूदी होने के नाते उन्हें यदि इसका थोड़ा सा भी भान होता कि कश्मीरी पंडितों ने कैसे भीषण अत्याचार सहे तो शायद वह बेहूदगी दिखाने से बचते। वह इससे अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि द कश्मीर फाइल्स किसी समूह के अत्याचार पर बनी कोई पहली फिल्म नहीं। ऐसी फिल्में दुनिया भर में बनती रही हैं। इनमें से कुछ तो दुनिया भर में सराही गई हैं। द कश्मीर फाइल्स के साथ फिल्म शिंडलर्स लिस्ट की चर्चा इसीलिए होती है, क्योंकि वह नाजी जर्मनी में यहूदियों के भयानक दमन को रेखांकित करती है। आखिर एक यहूदी फिल्मकार कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न पर इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है? फिल्मकार नदव लैपिड की संवेदनहीनता पर कश्मीरी पंडितों के साथ अन्य अनेक लोगों का विचलित होना स्वाभाविक है। लैपिड कुछ भी सोचें, इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जा सकती कि द कश्मीर फाइल्स ने होलोकास्ट यानी यहूदियों के संहार की याद ताजा करने का काम किया था।

वह इससे अनजान नहीं हो सकते कि होलोकास्ट पर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं। यह आश्चर्य की बात है कि कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार से अच्छी तरह परिचित लोग राजनीतिक कारणों से या द कश्मीर फाइल्स के प्रति अपने अंधविरोध के चलते नदव लैपिड की अवांछित टिप्पणी पर आनंदित हो रहे हैं। इन्हें परपीड़क के अतिरिक्त और कुछ कहना कठिन है। इन परपीड़कों को यह समझना चाहिए कि नदव लैपिड ने अपने व्यवहार से मेहमाननवाजी का अनादर करने के साथ अपनी नफरती मानसिकता ही दर्शाई। उनकी हरकत सरकार और साथ ही गोवा अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के आयोजकों के लिए एक सबक है। लैपिड जैसे फिल्मकार को इस समारोह में मेहमान के रूप में आमंत्रित करने से पहले उनकी पृष्ठभूमि से अवगत होने की आवश्यकता थी। किसी को यह देखना चाहिए था कि वह किस तरह इजरायल को लेकर ही अवांछित टिप्पणियां करते रहे हैं। एक बार तो उन्होंने अपने देश इजरायल के आत्मा को ही बीमार बता दिया था।

editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

खोपोली घाट की खाई में गिरे दो कंटेनर, 1 की मौत, कई घायल

महाराष्ट्रः महाराष्ट्र के खोपोली घाट से मिली एक खबर के मुताबिक, यहां बुधवार को दो कंटेनर 100 फीट गहरी खाई में गिर गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल मौके पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम भी मौजूद है। इस भयंकर ट्रक दुर्घटना में तीन से चार वाहन एक-दूसरे से भिड़ गए। इस दुर्घटना के बाद महामार्ग पुलिस की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। फिलहाल एक शख्स की मौत हो गई है वहीं एक और शख्स को बचाने के लिए बचाव कार्य शुरू है।

यह दुर्घटना आज यानी 30 नवंबर की सुबह के वक्त मुंबई की ओर जाने वाली सड़क पर ढेकू गांव के पास हुई। यहां एक के बाद एक तीन वाहन एक दूसरे से टकरा गए। इनमें से एक सीधे 100 फुट नीचे खाई में गिरा। दूसरे ट्रक का केबिन अलग होकर पहले वाले ट्रक के साथ नीचे गिर गया। तीसरा ट्रक सड़क पर ही पलट गया। क्रेन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू है। गौरतलब है कि, बीते सितम्बर को भी, महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार रवश कार ने दो बाइक्स को पीछे से टक्कर मार दी थी। तब इस सड़क हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना सक्करदरा फ्लाईओवर में घटित हुई थी। उक्त हादसा इतना भयावह था कि दो लोग फ्लाईओवर से 80 फीट नीचे सड़क पर जा गिरे थे। वहीं बीते अगस्त को, महाराष्ट्र के बीड जिले में आयशर ट्रकऔर स्विफ्ट कार के बीच हुई भयंकर टक्कर हो गई थी। इस हादसे में छोटे बच्चे समेत 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई थी। उक्त हादसा बीड के पाटोदा-मांजरसुभा रोड पर हुआ था। यह हादसा इतना भयंकर था कि, ट्रक और कार डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी तरफ गिर गए थे।

मैनपुरी-इटावा के डीएम और एसपी को हटाने की मांग...

मैनपुरी उपचुनाव के लिए जहां सपा और भाजपा के दिग्गज नेता प्रचार में जुटे हुए हैं, वहीं आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने जिला प्रशासन पर मतदाताओं के नाम काटने और सपा कार्यकताओं को गिरफ्तार करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने बुधवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से शिकायत कर इटावा-मैनपुरी के एसपी और डीएम को हटाने की मांग की है। रामगोपाल यादव ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर असली मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। सपा कार्यकताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक बूथ के 214 मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं।

सौतेली बेटी से किया रेप... आरोपी को मिली 20 साल की कैद, DNA टेस्ट ने दिलाई सजा!

मुंबई : मुंबई की एक विशेष अदालत ने डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर 41 साल के एक व्यक्ति को अपनी सौतेली बेटी के साथ रेप के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है. आरोपी ने पीड़िता के साथ कई बार दुष्कर्म किया था जिससे वह गर्भवती हो गई थी. हालांकि, मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता अपने बयान से मुकर गई थी. पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई के लिए नामित विशेष न्यायाधीश अनीस खान ने मंगलवार को जारी फैसले में कहा कि ऐसी अजीबोगरीब परिस्थितियों में डीएनए टेस्ट मामले की जांच के साथ-साथ अभियुक्तों का आरोप साबित करने का एक प्रभावी जरिया होता है. फैसले की प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई.

2019 से पीड़िता के साथ कर रहा था दुष्कर्म

न्यायमूर्ति खान ने कहा, 'डीएनए रिपोर्ट स्पष्ट रूप से संकेत देती है कि आरोपी पीड़िता के गर्भ में पल रहे भ्रूण का जैविक पिता था. यह वास्तव में बेहद दुखद है कि एक सौतेले पिता द्वारा 18 साल से कम उम्र की अपनी सौतेली बेटी के साथ एक बहुत ही गंभीर और जघन्य अपराध किया गया है.' अदालत ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि पीड़िता और उसकी मां बयान से मुकर गई हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि अभियोजन का मामला खारिज हो जाएगा. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपी अक्टूबर 2019 से पीड़ित लड़की के साथ दुष्कर्म कर रहा था.

जून 2020 में पीड़िता ने अपनी मां को इस बारे में बताया था, जिसके बाद पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई थी. चिकित्सा जांच के दौरान पता चला था कि पीड़िता 16 हफ्ते की गर्भवती है. बाद में गर्भपात करा दिया गया था. मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसकी मां अपने बयान से मुकर गई थीं. अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्यायालय के समक्ष दिए बयान में पीड़िता और उसकी मां ने दावा किया था कि आरोपी उनके परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था, इसलिए वे उसे माफ कर जेल से बाहर निकलवाना चाहती हैं.

इंदौर-मुंबई महामार्ग पर वाहन चालक से लूटपाट...!

1 महिला समेत 6 पुरुष संदिग्ध गिरफ्तार

धुलिया : इंदौर-मुंबई महामार्ग पर वाहन चालकों को लूटने वाली टोली का पदार्फाश आजाद नगर पुलिस ने किया है। एक महिला और छह पुरुष आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। वारदात में इस्तेमाल हुई दो पहिया वाहन और चाकू डंडा पुलिस ने बरामद किया है। आजाद नगर पुलिस स्टेशन में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए पुलिस अधीक्षक संजय बारकुंड ने कहा कि 30 नवंबर तड़के 3.35 बजे वादी ताहिर खान, रियाजू खान, बलखड़ कसरावत, जिला खरगोरे (म.प्र.)। औरंगाबाद से आयशर ट्रक नं. (एमएच-18/बीएच-2400) दवाई का सामान लेकर इंदौर जा रहा था, इसी दौरान मुंबई-आगरा हाइवे पर धुलिया से शिरपुर सर्विस रोड वरखेड़ी-उड्डन ब्रिज के नीचे 1 महिला आरोपी और 10 से 11 पुरुष आरोपियों ने मिलकर वादी और उसके क्लीनर फरदीन खान फरयाद खान को ट्रक के केबिन से नीचे खींच लिया और उन पर चाकू, लोहे से हमला कर दिया। पाइप, लकड़ी मेरी आंखों में लाठी और मिर्च पाउडर डालने का डर दिखाकर मारपीट कर हाथ रस्सी से बांध कर 8600 रुपए नकद और दोनों के मोबाइल हैंडसेट जबरन छीन लिए उक्त आरोपियों के खिलाफ आजादनगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।

पुलिस की जांच शुरू

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी जिसमें संदिग्धों से एक चाकू, लोहे का पाइप, लकड़ी का डंडा और 4 मोटर साइकिलें जब्त की गई है, जिनका प्रयोग अपराध करने में किया गया था। पुलिस जांच शुरू है। आरोपियों द्वारा पूर्व में हाइवे पर किए गए अपराधों का भी खुलासा किया जाएगा और अन्य फरार आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। संजय बारकुंड, एसपी धुलिया.

राज ठाकरे ने महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा मुद्दे पर उठाया सवाल?

बोले- 'मुख्य खबरों' से ध्यान हटाना इसका मकसद तो नहीं?

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने मंगलवार को आश्चर्य जताते हुए कहा कि कहीं महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद जैसे मुद्दों को उछालने का मकसद ''मुख्य खबरों'' से ध्यान भटकाना तो नहीं है. 1960 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद से सीमा विवाद के मुद्दे जारी हैं. दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद के बारे में पूछे जाने पर राज ठाकरे ने कहा, ''मुझे समझ में नहीं आता कि यह मुद्दा बार-बार और अचानक क्यों उठता है. यह मुद्दा वर्तमान में अदालत के समक्ष विचाराधीन है. मैंने पढ़ा है कि दिल्ली में कुछ बैठकें चल रही हैं. यह जांचने की आवश्यकता है कि क्या कोई जानबूझकर मुख्य समाचार से ध्यान भटकाने के लिए बार-बार इस प्रकार के मुद्दों को सामने ला रहा है.''

निकाय चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी पार्टी- राज ठाकरे

इस बीच, ठाकरे ने यह भी कहा कि मनसे मुंबई के आगामी निकाय चुनाव अकेले दम पर लड़ेगी. महाराष्ट्र के राज्यपाल बी.एस. कोश्यारी द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज को ''पुराने समय का प्रतीक'' कहे जाने के बारे में पूछे जाने पर, ठाकरे ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या ''कोई महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए राज्यपाल को एक 'स्क्रिप्ट' देता है.''

कांग्रेस-बीजेपी पर हमालवर हुए राज ठाकरे

वहीं, इससे पहले राज ठाकरे ने वी डी सावरकर और जवाहरलाल नेहरू पर चल रही बयानबाजी को लेकर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी ये बंद कर देश के अहम मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित करे. उन्होंने कहा कि, देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ने-मिटने वाले राष्ट्रीय नायकों की आलोचना किसी भी प्रकार उचित नहीं है. उन्होंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि, क्या राहुल गांधी का कद सावरकर के बारे में बुरा-भला बोलने का है? उन पर टिप्पणी करने का जिन्हें 50 साल के सश्रम कारवास की सजा सुनाई गई थी.

उन्होंने ये तक कहा कि राहुल गांधी ने देश में एक विवाद खड़ा कर दिया है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी कि नहीं? इसके अलावा, राज ठाकरे ने बीजेपी को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि, भारतीय जनता पार्टी जवाहरलाल नेहरू को बदनाम कर रही है जो बिल्कुल उचित नहीं है. देश के सामने कई अहम मुद्दे हैं जिन पर उन्हें अपनी नजर बनानी चाहिए.

महाराष्ट्र में व्यक्ति ने साली की चाकू मारकर हत्या की...!

पत्नी और सास को किया घायल

ठाणे : महाराष्ट्र के ठाणे जिले में एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी साली की हत्या कर दी और अपनी पत्नी और सास को चाकूमार कर घायल कर दिया। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी।मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना जिले के बदलापुर कस्बे में सोमवार सुबह करीब छह बजे हुई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी अपने ससुराल पहुंचा और अपनी पत्नी को तलाक देने और मुंबई में एक घर के कुछ दस्तावेज हासिल करने की बात करने लगा। इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। अधिकारी ने बताया कि झगड़ा होने के बाद आरोपी ने अपनी 60 साल की सास को पीटना शुरू कर दिया, उसके बाद उसने उन्हें चाकू मारना शुरू कर दिया। जब उसकी पत्नी और ननद ने बीच बचाव किया तो उसने उन पर भी चाकू से हमला कर दिया। उन्होंने कहा कि चाकू के गहरे घाव लगने की वजह से आरोपी की भाभी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य दोनों महिलाएं घायल हो गई, उनको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बदलापुर पश्चिम पुलिस थाने के एसएचओ ने कहा कि आरोपी को धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और भारतीय दंड संहिता और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की अन्य प्रविधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है। उसका मेडिकल कराकर उससे अन्य चीजों के बारे में पूछताछ की जा रही है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि इससे पहले भी आरोपी की परिवार के सदस्यों के साथ इस तरह की लड़ाई आदि हुई थी या पहली ही बार में उसने ऐसा किया है।

आरे में कारशेड के लिए पेड़ कटाई का रास्ता साफ, अगले साल से दौड़ेगी मेट्रो

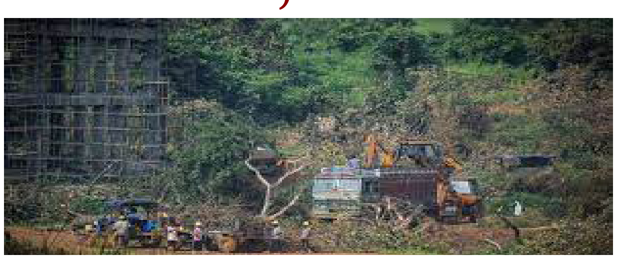

मुंबई: सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड परियोजना के लिए 84 पेड़ों के काटे जाने के मामले में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (एमएमआरसीएल) को वृक्ष अथॉरिटी के सामने अर्जी देने की मंजूरी दी। कोर्ट ने कहा कि बड़े सार्वजनिक फंड से जुड़ी परियोजनाओं के मामले में वह बेखबर नहीं हो सकता है। इस मामले में चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा की पीठ सुनवाई कर रही थी। मुंबई मेट्रो की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलों पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार शेड में ट्रेन के लिए रैंप बनाने को लेकर 84 पेड़ों की कटाई की जरूरत है। बेंच ने कहा कि एमएमआरसीएल को 84 पेड़ काटने के लिए वृक्ष अथॉरिटी के सामने अपनी अर्जी को रखने की इजाजत दी जानी चाहिए। इसके साथ ही पीठ ने मेट्रो योजना के खिलाफ मुख्य अर्जियों पर अगले साल फरवरी में अंतिम सुनवाई निर्धारित की।

सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले साल 2019 में लॉ के छात्र ऋषव रंजन के जरिए प्रधान न्यायाधीश को संबोधित एक पत्र का याचिका के तौर पर स्वतः संज्ञान लिया था। इसमें आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल के जरिए कोई और पेड़ नहीं काटे जाने के संबंध में हलफनामा दिए जाने के बाद अधिकारियों को और पेड़ काटने से रोक दिया था। आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई का पर्यावरणविद और वहां के निवासी विरोध कर रहे हैं। साल 2016 से कोलाबा-बांद्रा-सीप्ज के बीच मेट्रो-3 कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है। आरे में कारशेड के निर्माण में हो रही देरी के कारण अब तक मुंबई की पहली भूमिगत मेट्रो दौड़ नहीं पाई है। आरे में कारशेड निर्माण के लिए साल 2019 में तत्कालीन सरकार ने रातों-रात दो हजार से अधिक पेड़ों को कटवा दिया था। राज्य में शिवसेना और बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार के हटते ही आरे में कारशेड के निर्माण के काम पर रोक लगा दी गई थी। पिछले ढाई साल से आरे में कारशेड का निर्माण कार्य रुका हुआ था। बीते कुछ महीने पहले राज्य में फिर सरकार बदली। तब एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली सरकार ने आरे में दोबारा कारशेड का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया है। आरे में करीब 25 हेक्टर परिसर में कारशेड का निर्माण कार्य चल रहा है। अब तक करीब 32 फीसदी कम हो चुका है। आरे में कारशेड का काम शुरू होते ही सरकार ने मेट्रो-3 के मार्ग पर ट्रायल रन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

पुलिस हिरासत से भागा हत्या का आरोपी गिरफ्तार...!

दोस्त की मदद से हुआ था फरार

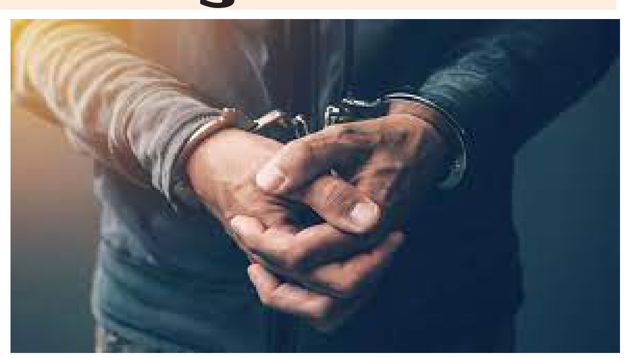

पालघर : महाराष्ट्र के पालघर जिले में पुलिस की हिरासत से भागे हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. विरार अपराध इकाई के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रमोद बदख ने बताया कि 36 वर्षीय आरोपी को 27 जुलाई, 2021 को विरार इलाके में एक बैंक लॉकर में डकैती के बाद हत्या करने और हत्या का प्रयास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. अधिकारी ने बताया कि उसे इस साल 25 नवंबर को ठाणे केंद्रीय कारागार से वसई की एक अदालत में लाया गया था, जहां से आरोपी अपने एक दोस्त की मदद से पुलिस हिरासत से फरार हो गया था. उन्होंने कहा कि अपराध शाखा ने विभिन्न सुरागों की मदद से उसे और उसके 42 वर्षीय मित्र को रविवार को नालासोपारा इलाके से गिरफ्तार कर लिया.

पहले भी हत्या के आरोपी एक युवक को पुलिस ने वाराणसी की ट्रेन से किया था गिरफ्तार

इससे पहले पालघर जिले के नालासोपारा में पत्नी की हत्या कर भाग रहे युवक को महाराष्ट्र पुलिस ने वाराणसी जा रही ट्रेन से गिरफ्तार किया था. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवक ने चार दिन पहले मामूली कहासुनी पर ये वारदात अंजाम दी थी. इसके बाद से वह फरार था. महाराष्ट्र पुलिस उसकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास कर रही थी. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया था कि गिरफ्तार युवक अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा किया करता था. घटना वाले दिन भी आरोपी और उसकी पत्नी के बीच पहले कहासुनी हुई थी. आरोपी के पास अपनी मां की मृत्यु के बाद दाह संस्कार करने के लिए पैसे नहीं थे. इसके बाद उसने पैसों की खातिर अपनी पत्नी की सोने की बालियां बेचनी चाहीं. पत्नी ने उन्हें देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी की गला दबा हत्या कर डाली थी. पुलिस के मुताबिक युवक ने बीते 19 नवंबर को अपने घर पर पत्नी की हत्या की थी. इसके बाद से वह फरार चल रहा था.

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार, 01 दिसंबर 2022

20 दिसंबर तक मुंबई निकाय वार्डों के परिसीमन को आगे नहीं बढ़ाएंगी महाराष्ट्र सरकार...

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को बंबई उच्च न्यायालय को सूचित किया कि वह वार्डों के परिसीमन की प्रक्रिया तब तक आगे नहीं बढ़ाएगी जब तक कि बृहन्मुंबई नगर निगम में वार्डों की संख्या कम करने के खिलाफ दायर याचिका पर अगली सुनवाई नहीं हो जाती। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। जस्टिस एस वी गंगापुरवाला और ए एस डॉक्टर की खंडपीठ दो पूर्व पार्षदों द्वारा दायर दो याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बीएमसी की सीमा के भीतर सीधे निर्वाचित पार्षदों की संख्या 236 से घटाकर 227 कर दी गई थी।

HC मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को करेगा

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील विक्रम ननकानी ने बुधवार को अदालत को बताया कि सुनवाई की अगली तारीख तक सरकार बीएमसी के संबंध में परिसीमन प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगी। पीठ ने इस बयान को स्वीकार किया और कहा कि याचिकाकताओं की आशंका का समाधान कर दिया गया है। एचसी ने मामले को 20 दिसंबर को सुनवाई के लिए आगे बढ़ाया है। बता दें नवंबर 2021 में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने बीएमसी वार्डों

की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने का फैसला किया था। एमवीए सरकार इस साल जून में गिर गई थी। बाद में शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार बनाई थी।

अगस्त में शिंदे सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर संख्या को 227 पर वापस ला दिया था। बीएमसी के पूर्व पार्षदों राजू पेडनेकर और समीर देसाई ने अपनी याचिकाओं में इस फैसले को चुनौती दी और कहा कि इसने समय को वापस लाने की मांग की थी। राज्य के शहरी विकास विभाग ने बुधवार को दायर एक हलफनामे में कहा कि याचिकाएं ''गुप्त उद्देश्यों'' के साथ दायर की गई हैं और उन्हें अनुकरणीय लागत के साथ खारिज किया जाना चाहिए।

सरकार ने कहा कि जिस कारण से उसे लगा कि वार्डों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, वह यह है कि जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। 2011 की जनगणना के अनुसार पार्षदों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करना अपर्याप्त पाया गया। राज्य निर्वाचन आयोग ने याचिकाओं के जवाब में बुधवार को दायर अपने हलफनामे में कहा कि 2021 में जब महाराष्ट्र सरकार द्वारा सीटों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 की गई थी तो एसईसी को पूर्व के संबंध में पहले से किए गए कार्यों को रद करना पड़ा था।

इसने कहा कि पिछली एमवीए सरकार ने तब मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन किया था जिसके द्वारा परिसीमन के लिए एसईसी की शक्तियों को वापस ले लिया गया था और शक्ति राज्य को सौंपी गई थी। संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी और यह मुद्दा अभी भी लंबित है। हलफनामे में कहा गया है, ''अगस्त 2022 में, वर्तमान महाराष्ट्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था जिसके द्वारा वार्डों की संख्या एक बार फिर 236 से घटाकर 227 कर दी गई। इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है।''

पिता की हरकत से परेशान नाबालिग बेटी ने उठाया ऐसा कदम....

पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार

मुंबई : मुंबई के चेंबूर से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक पिता ने अपनी बेटी के साथ यौन शोषण की घटना को अंजाम दिया है. इस मामले में आरसीएफ थाने में 44 साल के शख्स के खिलाफ क्ढउ की धारा 354, 506 और पॉक्सो की धारा 8, 12 पॉक्सो एक्ट और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37(1)(ए), 135 के तहत मामला दर्ज किया गया है. आरोपी पिता ने नाबालिग बच्ची को सोते समय गलत तरीके से छुआ. इस घटना के बाद से पीड़िता मानसिक तनाव में थी जिस कारण उसने 'रेस्टिल' की गोलियां ली और सो गई. दवां के चलते पीड़िता बेहोश हो गई जिसके बाद उसको चंद्रा अस्पताल ले जाया गया. बच्ची के होश में आने पर उसने देखा कि पिता वहां आ गया है और उसने पीड़िता को चाकू दिखाकर चुप रहने की धमकी दी.

पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार

सूत्रों ने बताया कि जब वो ऐसा कर रहा था तभी वहां मौजूद डॉक्टर ने देखा और उसे पकड़ने की कोशिश

की. आरोपी ने डॉक्टर को धक्का दिया और मौके से भागने में कामयाब हुआ. इस घटना के बाद पीड़ित लड़की ने पूरी घटना का खुलासा किया और फिर नाबालिग लड़की के बयान के आधार पर उसके आरोपी बाप के खिलाफ मामला दर्ज किया. पुलिस ने अब आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

हरियाणा में नाबालिग बेटी से रेप करने के मामले में पिता को फांसी की सजा

बीते दिनों हरियाणा के सिरसा में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक पिता को 12 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में फांसी सुनाई. ये मामला साल 2020 का है जहां 12 साल की बच्ची के साथ उसके पिता ने रेप किया. वहीं, आरोपी ने जज द्वारा सजा सुनाए जाने से पहले कहा कि उस पर तीन बच्चों की परवरिश करने की जिम्मेदारी है इसलिए नरमी बरती जाए. जज ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जो बेटी अपनी पिता के साथ सुरक्षित नहीं हो सकती वो किसी के साथ नहीं हो सकती. इस बात के बाद जज ने आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई.

महाराष्ट्र में मर्डर का सनसनीखेज वारदात आया सामने,

लड़की ने चचेरी बहन का गला काटा

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के जालना जलि में मर्डर का सनसनीखेज वारदात सामने आया है। जालना जिले में सोमवार की सुबह एक 14 साल की लड़की ने गुस्से में सात साल की चचेरी बहन की कथित रूप से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। नाबालिक जालना के एक मशहूर इंगलशि मीडियम स्कूल में कक्षा 9 की स्टूडेंट है। लड़की की मां ने तालुका पुलिस में इस घटना की शकियत की। इस पर पुलसि ने हत्या के आरोप में लड़की के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस

मामले में पुलसि ने बताया कि उन्हें बाथरूम में साबुन के डिब्बे में एक ब्लेड मिला। इससे लड़की ने बच्ची के चेहरे और शरीर पर वार किया था। पुलिस ने आगे बताया कि फिर चचेरी बहन का गला रेत दिया। शकियत में मां ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी ने बाथरूम में पानी से खून भी साफ किया और जिस ब्लेड से उसने खून किया था उसे वापस साबुन के डिब्बे में धोकर रख दिया। तालुका पुलिस के एसआई शिवाजी वडटे ने बताया कि सात साल की बच्ची का परिवार घनसावंगी में रहता है। उसके पिता एक किसान हैं। वह चाहते थे कि उनकी बच्ची को अच्छा एजुकेशन मिले और इसलिए उसे जालना के चौधरी नगर इलाके में अपने भाई (किशोरी के पिता) के साथ पढ़ने के लिए भेज दिया। नाबालिक के पिता पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन हैं। कुछ दिन पहले किशोरी ने स्कूल में एक मोबाइल फोन चोरी किया था। जब वह पकड़ी गई और उसके पास से फोन मिला तो उसने स्कूल जाना छोड़ दिया था। बता दें कि इस मामले में पुलसि ने बताया कि सोमवार की सुबह किशोरी की मां ने लड़की को नींद से जगाया और जोर देकर कहा कि क्या वह स्कूल नहीं जाएगी। इस पर नाबालिक लड़की ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और बाथरूम में चली गई। बाथरूम में पहले से ही उसकी सात साल की चचेरी बहन थी। बाथरूम में जाने के बाद बड़ी लड़की ने बच्ची पर हमला कर दिया।

चोरी के बाद ऑटो चालक को दिए 15 हजार रुपए

मुंबई : ऑटो चालक रोहित साहू ने ओमती पुलिस को पूछताछ में बताया कि 19 नवंबर की शाम को वर्धा अशोक नगर निवासी अमृत को ऑटो में उसने रानीताल से बैठाकर तीन पत्ती ला रहा था। अशोका होटल के सामने से दो सवारी जिसमें एक लेडीस और एक जेंट्स ऑटो में बैठे थे जिन्हें चौथा पुल के पास उतारा था। अमृता ने चोरी के 2 लाख रुपए में से रोहित साहू को 15 हजार रुपए दिए और कहा कि दो-तीन दिन ऑटो मत चलाना। रोहित साहू के बताए गए महिला के हुलिए के आधार पर जबलपुर पुलिस अमृता की तलाश करने में जुट गई। पुलिस की जांच में सामने आया कि अमृता महाराष्ट्र के वर्धा अशोकनगर की रहने वाली है, जिसके आधार पर ओमती थाना

पुलिस की एक टीम ने अमृता पति हर्षल अशोक नगर साई बाबा मंदिर के पास थाना वर्धा जाकर दबिश दी । महिला को हिरासत में लेकर जब पूछताछ किया तो महिला ने स्वीकार किया कि उसने ही ऑटो से 2 लाख रुपए चुराए थे। ओमती थाना पुलिस ने चोरी गए दो लाख रुपए में से 1 लाख 50 महिला से जप्त कर लिए है।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com